

माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार के समक्ष

मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 1982 का क्रमांक 1769

7 फरवरी 2003

भारत का संविधान, 1950-कला। 19 (1)(जी), 14, 301 और 304-हरियाणा ऑक्टोरी और सरचार्ज अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम संख्या 7) का सत्यापन-औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य नमक पर ऑक्टोरी शुल्क लगाना-सामान्य नमक-मानव के लिए उपयोग किया जाता है उपभोग और औद्योगिक उपभोग के बीच अंतर-क्या इसके उपयोग के आधार पर वर्गीकरण कला का उल्लंघन करता है। 14-आयोजित, नहीं- 1980 के हरियाणा अधिनियम संख्या 7 का पूर्वव्यापी संचालन न तो मनमाना और न ही असंवैधानिक- साधारण नमक पर ऑक्टोरी शुल्क लगाना कला का उल्लंघन नहीं करता है। 19 (1)(जी), 301 या 304 क्योंकि यह अनुच्छेद 19(6) द्वारा अपेक्षित उचित प्रतिबंध के भीतर होगा - याचिका खारिज की जा सकती है।

यह माना गया कि 'केवल इसलिए कि इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोरीन है, सामान्य नमक 'औद्योगिक नमक' के साथ एक नहीं हो जाएगा। अंबाला जिले के मामले में, जिसमें यमुनानगर भी शामिल है, सामान्य नमक को आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। यह और भी स्पष्ट है कि आयोडीन युक्त परिष्कृत नमक मैग्नीशियम के दुष्प्रभाव से बचाता है। इसलिए, मैं इस विचार को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हूँ कि सामान्य खाद्य नमक औद्योगिक नमक के समान ही वस्तु होगा। यह सर्वविदित है कि औद्योगिक नमक कच्चा और अपरिष्कृत नमक होता है जिसमें कोई आयोडीन नहीं होता।

(पैरा 20)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि भले ही अनुमान के लिए यह स्वीकार कर लिया जाए कि सामान्य खाद्य नमक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य नमक एक ही चीज है, फिर चुंगी की वसूली के लिए इसे उठाना बिना किसी उचित कारण के नहीं माना जा सकता है। क्योंकि सामान्य खाद्य नमक को हर सक्रिय व्यक्ति अमीर या गरीब तक पहुंचाना है, जबकि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाला साधारण नमक मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उद्योग भुगतान करने की बेहतर स्थिति में है जो सभी कर कानूनों में एक

प्रासंगिक विचार है। इसलिए, मुझे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य नमक पर चुंगी के तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि सामान्य खाद्य नमक से भोजन करना संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन है।

(पैरा 24)

इसके अलावा, यह माना गया कि 1980 के अधिनियम संख्या 7 के अवलोकन से पता चलता है कि इसे यमुनानगर में हर उद्योग पर लागू किया गया है और संयोगवश, यदि याचिकाकर्ता केवल उस कारण से एकमात्र उद्योग है, तो यह एक वर्ग के अपने चरित्र को नहीं खोएगा। वैध वर्गीकरण के प्रश्न का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए उद्योग का। 1980 के अधिनियम संख्या 7 के प्रावधानों का अवलोकन करने के बाद, जो कोई भी औद्योगिक नमक का आयात करता है या जिसने 1 जुलाई, 1975 से औद्योगिक नमक के लिए चुंगी का आयात और भुगतान पहले ही कर दिया है, उसके साथ एक समान व्यवहार किया गया है। कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि केवल याचिकाकर्ताओं को सत्यापन अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की गई थी।

(पैरा 26)

आगे यह तर्क दिया गया कि चुंगी शुल्क लगाना संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 का उल्लंघन है, यह अनुच्छेद के तहत अनुचित प्रतिबंध लगाता है। 19(1)(जी) के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी गंभीर विचार की आवश्यकता नहीं होगी कि चुंगी को माल की आवाजाही पर कर के रूप में नहीं माना जा सकता है। नगरपालिका क्षेत्र में माल को उपयोग के इरादे से लाना और पारगमन में नहीं लाना निर्णायक कारक होगा। इस तरह के लेवी की प्रकृति नियामक है और सातवीं अनुसूची की सूची II, प्रविष्टि 52 में पर्याप्त रूप से शामिल है। इसे संविधान के अनुच्छेद 301, 304 या 19(1)(जी) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(6) द्वारा अपेक्षित उचित प्रतिबंध के भीतर होगा।

(पैरा 29)

डी.एन.साहनी- याचिकाकर्ताओं के वकील ।

नरेश के. जोशी - उत्तरदाताओं की ओर से, एएजी, हरियाणा।

### निर्णय

न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार,

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर तत्काल याचिका में प्रतिवादी हरियाणा राज्य को चुंगी की रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है ताकि हरियाणा चुंगी की मान्यता की घोषणा के बाद नगरपालिका समिति यमुनानगर में लाए गए आम नमक पर चुंगी न लगाई जाए और एकत्र न की जाए। अधिभार अधिनियम, 1980 (संक्षिप्तता के लिए, 1980 का अधिनियम संख्या 7) संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 301 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक है। चुंगी अनुसूची की मद संख्या 61 के तहत औद्योगिक नमक पर चुंगी लगाने के नगर पालिका समिति, यमुनानगर के फैसले को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने के लिए एक और दिशा-निर्देश मांगा गया है। यह पत्र रिट याचिका के साथ अनुबंध पी-1 के रूप में संलग्न है (गलत तरीके से अनुबंध पी-2 के रूप में वर्णित है)। परिणामी राहत के रूप में, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को जुलाई, 1975 से नमक पर चुंगी के माध्यम से पूरी राशि वापस करने का निर्देश देने का दावा किया है।

(2) याचिकाकर्ता मेसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विनिर्माण इकाइयाँ हैं। श्री गोपाल मिल्स यमुनानगर में स्थित इसकी इकाइयों में से एक है जो अन्य वस्तुओं के अलावा कास्टिक सोडा और क्लोरीन के निर्माण में लगी हुई है। कास्टिक सोडा और क्लोरीन के निर्माण के प्रयोजनों के लिए, याचिकाकर्ता यमुनानगर की नगरपालिका सीमा के भीतर नमक सहित विभिन्न कच्चे माल को अपने कारखाने में लाते हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह सामान्य नमक है और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। यह दावा किया जाता है कि जनवरी, 1975 तक, नमक हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) और उसके बाद गुजरात के सिंगाच में स्थित अपने स्वयं के नमक कारखाने से प्राप्त किया जाता था। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि, 30 मई, 1953 की अधिसूचना के माध्यम से, पंजाब के समग्र राज्य ने पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (संक्षिप्तता के लिए, 1911 अधिनियम) की धारा 61 के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 3 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अधिसूचना की अनुसूची में निर्धारित वस्तुओं के उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए नगर पालिका समिति, यमुनानगर की नगरपालिका सीमाओं में माल के प्रवेश पर चुंगी की प्रकृति में कर, जिसमें चुंगी की लेवी से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची भी शामिल थी। खंड (बी)(8)

प्रासंगिक प्रविष्टि है जो दर्शाती है कि नमक को चुंगी से छूट दी गई थी। यह दावा किया जाता है कि नमक को कभी भी पंजाब के समग्र राज्य या नवगठित हरियाणा राज्य द्वारा किसी भी कानून के तहत चुंगी के अधीन नहीं किया गया है। आगे कहा गया है कि यद्यपि 1911 अधिनियम को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (संक्षिप्तता के लिए, 1973 अधिनियम) की धारा 279 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1973 अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (2) के खंड (ए) के आधार पर, 30 मई, 1963 की अधिसूचना को निरस्त होने से बचा लिया गया और जारी रखा गया। यह भी दावा किया गया है कि उपरोक्त अधिसूचना को 1973 अधिनियम के प्रावधानों के तहत तब तक बनाया और जारी किया गया माना जाएगा जब तक कि इसे 1973 अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी अधिसूचना या आदेश द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 7 जून, 1963 को पंजाब सरकार के राजपत्र भाग I-ए में प्रकाशित 30 मई, 1963 की अधिसूचना के तहत नमक को चुंगी की वसूली से छूट दी गई है। यह भी दावा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं की इकाई 8 जुलाई, 1975 तक यमुनानगर ने कोई चुंगी नहीं चुकाई थी और न ही 30 मई, 1963 की अधिसूचना के भाग बी की प्रविष्टि 8 के तहत छूट के कारण भुगतान करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, 8 जुलाई, 1975 को नगर समिति, यमुनानगर को याचिकाकर्ता द्वारा यमुनानगर की नगरपालिका सीमा में लाए गए नमक को औद्योगिक नमक बताकर उस पर चुंगी लगाई गई और चुंगी अनुसूची के आइटम नंबर 61 के तहत इस लेवी को उचित ठहराया गया है, जो दरें निर्धारित करता है। 1.40 प्रति क्विंटल प्लस रु. अधिभार के रूप में 75 रु. आगे यह आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त चुंगी लगाना अधिकार क्षेत्र के बिना है क्योंकि आइटम (बी)(8) के अनुसार नमक चुंगी से छूट की सूची में शामिल है। यह भी दावा किया गया है कि मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले नमक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले नमक के बीच कोई अंतर नहीं है और याचिकाकर्ता ऑक्ट्रॉई अनुसूची, ऑक्ट्रॉई अनुसूची के प्रवेश आइटम नंबर 61 के दायरे में नहीं आएंगे जिसके तहत यह दिनांक 8 जुलाई 1975 के पत्र द्वारा लगाया गया है जो इस प्रकार है:-

"अन्य कपड़े धोने का साबुन (मंकी ब्रांड साबुन, सनलिंग साबुन, विम और लक्स फ्लेक्स सहित) साल्ट-पेट्रे रिफाइंड, पोटैस एम्प्सम साल्ट, सोडियम बाई-कार्बोनेट और कपड़े, फर्श और बर्तन धोने में उपयोग किए जाने वाले अन्य नमकीन पदार्थ ”

(3) याचिकाकर्ताओं ने उत्तरदाता को हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड से एक प्रमाण पत्र भेजकर विभिन्न अभ्यावेदन दिए, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता इकाई यमुनानगर को बेचा गया औद्योगिक नमक मानव उपभोग के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य नमक की भौतिक और रासायनिक खपत का है और दोनों की कीमतें एक जैसे हैं। अनुलग्नक पी-4 से पी-8, पी-10, पी-11, पी-14 और राज्य या नगरपालिका समिति, यमुनानगर के विभिन्न कार्यों को भेजे गए विभिन्न अभ्यावेदनों की प्रतियां हैं। उपरोक्त अभ्यावेदन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं जैसा कि 3 जुलाई के पत्र, अनुबंध पी-17 से स्पष्ट है। 26 नवंबर 1978 को एक अधिसूचना. ऐनी पी-19 को आई अधिनियम की धारा 84

की उप-धारा (1) और धारा 84 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जारी किया गया है, केवल चुंगी शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी नवंबर, 1978 से मानव उपभोग के लिए सभी नगरपालिका समितियों और अधिसूचित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर सामान्य नमक (खाद्य नमक)। अधिसूचना का पाठ इस प्रकार है: - "नंबर 30/10/2सीएल-78-हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 84 की उप-धारा (1) और धारा (1) के खंड (ए) और उसे सक्षम करने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में, हरियाणा सरकार नवंबर, 1978 से सभी नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर मानव उपभोग के लिए अधिसूचित क्षेत्रों के लिए सामान्य नमक (खाद्य नमक) पर अक्टूबर शुल्क के भुगतान से छूट देती है।

(4) 26 नवंबर, 1978 की उपरोक्त अधिसूचना से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने पहले सामान्य नमक पर चुंगी लगाने और संग्रह को चुनौती देते हुए 1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 1071 दायर की थी। हालाँकि, 24 मई, 1979 को, प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर कि वैकल्पिक उपचार प्रदान किया गया था, रिट याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने फिर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की, जो 1979 की रिट याचिका संख्या 1293-94 है। जब रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आईं, तो प्रतिवादी-राज्य ने बताया कि हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा चुंगी और अधिभार मान्यता अधिनियम संख्या 7, 1980 पारित किया है जो 14 अप्रैल, 1980 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ है और जिसे 1 जुलाई, 1975 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी रिट याचिका दायर की गई है। वापस ले लिया गया और निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

"श्री तारकुंडे का कहना है कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। मामले को ध्यान में रखते हुए, हम उन्हें अनुमति देते हैं। याचिकाकर्ता याचिका वापस लें। लाचेस के सवाल पर, हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा कि यह रिट याचिका 1979 से इस न्यायालय में लंबित है।"

5. उसके बाद वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. प्रतिवादी नंबर 1 ने कई प्रारंभिक आपत्तियां लेकर रिट याचिका का विरोध किया है। पहली आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ताओं के पास 1973 अधिनियम की धारा 99 और 100-ए के तहत अपील और पुनरीक्षण का वैकल्पिक उपाय है और इस न्यायालय के समक्ष दायर 1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 1079 को उस स्कोर पर 24.5.1979 को वापस ले लिया गया था। एक और आपत्ति उठाई गई है कि चुंगी का संग्रह नगरपालिका समिति, यमुनानगर द्वारा 8.7.1975 से अनुबंध पी-1 के आधार पर शुरू किया गया था, देरी का कोई कारण नहीं दिया गया है, भले ही 1979 से देरी जब पिछली रिट याचिका दायर की गई थी, माफ कर दी गई है।

7. गुण-दोष के आधार पर, यह विवादित रहा है कि क्या याचिकाकर्ता इस क्षेत्र में मानव उपभोग के लिए खाद्य सामान्य नमक का आयात करते हैं। वास्तव में यह दावा किया जाता है कि 'औद्योगिक नमक' या सामान्य नमक जो मानव उपभोग के लिए उपयोग नहीं किया जाता है और कास्टिक सोडा और क्लोरीन के निर्माण में उपयोग किया जाता है, वह मानव उपभोग के लिए हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले 'खाद्य नमक' से भिन्न है। यह दावा किया गया है कि ओसी अनुसूची के तहत 'कास्टिक सोडा' और क्लोरीन के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले 'इंडस्ट्री एक्टिवेट विंडो साल्ट' पर चुंगी लगाना और एकत्र करना नगरपालिका समिति यमुनानगर की क्षमता में था। हालाँकि, उत्तर अनुसूची के आइटम नंबर 01 को अधिक स्पष्ट और सुस्पष्ट बनाने के लिए 1980 का हरियाणा अधिनियम नंबर 7 अधिनियमित किया गया था। राज्य का रुख यह है कि 'औद्योगिक नमक' जो याचिकाकर्ताओं द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में आयात किया जाता है, का उपयोग मानव उपभोग के लिए नहीं किया जा सकता है और इसे चुंगी के भुगतान से छूट नहीं दी जा सकती है। आगे यह दावा किया गया है कि एप्सम नमक, अन्य नमकीन पदार्थ चुंगी अनुसूची की मद संख्या 61 के तहत चुंगी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे और छूट केवल मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य नमक पर उपलब्ध थी। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 और 52 में भी दीन ने इस दावे पर भरोसा किया है कि उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर चुंगी लगाने की अनुमति है।

8. प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने अलग लिखित बयान में बताया है कि याचिकाकर्ता नमक की विविधता के संबंध में अपना रुख बदलते रहे हैं। इस संबंध में दस्तावेज़ अनुलग्नक आर-2 का संदर्भ दिया गया है जो वर्ष 1973, 1973, 1974, 1978 और 1979 के संबंध में चुंगी के विवरण हैं। यह भी बताया गया है कि कुछ समय से, याचिकाकर्ताओं आईटीईआर का वर्णन किया है सेटिंग्स में जाकर एक्टिवेटि एस'साल्ट' और दूसरे समय 'औद्योगिक नमक' पर जाएं। सारांश के रूप में खुलासा किया गया है

"वर्ष घोषणा में दर्शाई गई वस्तु

1. 1972 नमक
2. 1973 बिना कुचला नमक
3. 1974 नमक
4. 1978 औद्योगिक नमक
5. 1979 रासायनिक उद्योग के लिए नमक (एनओसी)"

9. आगे यह दावा किया गया है कि एक बार चुंगी की घटना को अंतिम उपभोक्ताओं पर चार्ज करके स्थानांतरित कर दिया गया है, तो चुंगी की घटना को स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए,

1980 के हरियाणा अधिनियम संख्या 7 को लागू किया गया है। पूर्वव्यापी चुनौती के दायरे से परे है। कोई नई लेवी नहीं लगाई गई है और चूंकि 1973 अधिनियम को 26.4.1973 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी गई है, इसलिए किसी और सहमति की आवश्यकता नहीं है।

10. योग्यता के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा नगरपालिका सीमा के भीतर आयातित 'नमक' 'औद्योगिक नमक' है और यह नामांकित आयोडीन युक्त है। गैर-आयोडीनयुक्त नमक को विशेष रूप से अंबाला जिले में मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है जिसमें हरियाणा राज्य में यमुनानगर भी शामिल है। उस क्षेत्र में, उस समय पानी में आयोडीन की कम मात्रा के कारण घेंघा रोग का प्रचलन व्यापक रूप से फैला हुआ है। दिनांक 1.3.1974 के एक आयोग का संदर्भ दिया गया है जो खाद्य (एच प्राधिकरण, हरियाणा-सह-निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ) द्वारा जारी एक अधिसूचना है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति अंबाला जिले में गैर-आयोडीनयुक्त नमक नहीं बेचेगा। एक अन्य संचार दिनांक 10.5 .1979 में अम्बाला जिले में नमक और आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर रोक लगाने का भी उल्लेख किया गया है। फिर दिनांक 12.12.1979 के पत्र में यह दर्शाया गया है कि पानी में आयोडीन की कमी के कारण, जिलों में घेंघा रोग की घटना आम है। अंबाला और गुड़गांव। "घेंघा की उपरोक्त समस्या के आधार पर यह दावा किया गया है कि केवल आयोडीन युक्त नमक को चुंगी शुल्क लगाने से छूट दी गई है, जो अकेले 'कॉम नमक' है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। बीच अंतर निकालने की कोशिश की गई है यह शब्द 'नमक' और 'नमक' हैं। यह दावा किया जाता है कि केवल उन व्यापारियों को चुंगी शुल्क से छूट दी जाती है जो सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं जो प्रमाणित करता है कि नगरपालिका क्षेत्र में आयातित नमक आयोडीन युक्त है और मानव के लिए उपयुक्त है। उपभोग।

11. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री डी.एन.साहनी को सुना है जिन्होंने मेरे समक्ष निम्नलिखित तीन प्रस्तुतियाँ उठाई हैं:-

(ए) 'सामान्य नमक' पर चुंगी शुल्क लगाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि इसी अनुच्छेद के आधार पर 'सामान्य नमक' का 'औद्योगिक नमक' और 'गैर-औद्योगिक नमक' में वर्गीकरण किया गया है। इसके उपयोग का और वह इसलिए कि नमक दोनों एक ही वस्तु हैं।

(बी) 1980 के हरियाणा अधिनियम संख्या 7 का पूर्वव्यापी कार्यान्वयन मनमाना है और इसलिए, असंवैधानिक है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को उनकी एकल व्यक्तिगत इकाई में इसके आवेदन के लिए घृणित भेदभाव के लिए चुना गया है।

(सी) चुंगी शुल्क लगाना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी), 301 और 304 का भी उल्लंघन करता है क्योंकि इसने व्यापार, वाणिज्य की अंतर-राज्य स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगा दिया है और यह

सार्वजनिक हित के खिलाफ है। यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि चुंगी माल की आवाजाही पर लगने वाला कर है।

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री डी.एन.साहनी ने अपनी पहली दलील की पुष्टि करते हुए कहा है कि चुंगी लगाने को संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती दी जा सकती है यदि यह दिखाया जा सके कि छूट प्राप्त अनुच्छेद और छूट वाले अनुच्छेद के बीच अंतर पैदा हुआ है। जिस पर कर लगाया जाता है वह भ्रामक है। विद्वान वकील के अनुसार 'सामान्य नमक' और कि कास्टिक सोडा और क्लोरीन के निर्माण के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य नमक और नमक के बीच कोई अंतर नहीं है। जैसा कि अधिसूचना अनुलग्नक पी-19 दिनांक 26.11.1978 द्वारा 'सामान्य नमक' (खाद्य नमक) के बीच अंतर पैदा करने की मांग की गई है और याचिकाकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला नमक जो 'सामान्य नमक' भी है, भ्रामक और सतही है, इसलिए, वही है संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लागू होने योग्य है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 1973 की सिविल रिट याचिका संख्या 1637, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल एमआई कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 13.3.1996 को दिए गए फैसले पर भरोसा किया और तर्क दिया कि ' सामान्य नमक' और 'औद्योगिक नमक' एक ही चीज़ हैं और इसलिए, मानव उपभोग या औद्योगिक उपभोग के लिए इसके उपयोग के आधार पर वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। विद्वान वकील ने राजा जगन्नाथ बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य<sup>1</sup>, एआईआर 1962 एससी 1563 मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ 15 और 16 पर भी भरोसा जताया है।

13. तब यह प्रस्तुत किया गया कि 1980 में अधिनियमित कानून भी मनमाना और भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह चुंगी लगाने के लिए याचिकाकर्ता-उद्योग को अलग करना चाहता है। विद्वान वकील ने तर्क देने के लिए उद्देश्यों और कारणों के बयान का संदर्भ दिया है कि

“इसके अवलोकन के बाद यह साबित हो जाएगा कि 1980 के अधिनियम संख्या 7 को पारित करने का एकमात्र उद्देश्य याचिकाकर्ताओं को चुंगी लगाने के लिए अलग करना था। वस्तु एवं कारण का कथन इस प्रकार है: वस्तु एवं कारण का कथन औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में उपयोग के लिए यमुनानगर की नगरपालिका सीमा के भीतर बड़ी मात्रा में नमक लाया जा रहा है, जिस पर जुलाई, 1975 से यमुनानगर की नगर पालिका अपनी चुंगी अनुसूची के आइटम 61 के तहत चुंगी वसूल रही है। इस संबंध में सभी संदेहों को दूर करने के लिए इसके लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी हो गया है। इसलिए यह विधेयक है।”

---

<sup>1</sup> एआईआर 1962 एससी 1563

14. विद्वान वकील ने आगे कहा कि समझदार अंतर के आधार पर एक उचित वर्गीकरण स्वीकार्य है यदि यह उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जिन्हें समूह से बाहर छोड़ दिए गए अन्य लोगों से अलग किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार, विधायिका ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संख्या। यमुनानगर नगरपालिका समिति जुलाई, 1975 से चुंगी अनुसूची की मद संख्या 61 के तहत चुंगी वसूल रही है और विनिर्माण में उपयोग के लिए यमुनानगर की नगरपालिका सीमा के भीतर बड़ी मात्रा में नमक का आयात किया जा रहा है। औद्योगिक उत्पाद जो दिखाएंगे कि उसके मन में केवल एक ही उद्योग है यानी याचिकाकर्ता। विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 3 के प्रशासक द्वारा संबोधित पत्र दिनांक 8.7.1975 (अनुलग्नक पी-1) का संदर्भ देकर फिर से अपने तर्क को विस्तृत किया है जिसमें चुंगी अनुसूची के आइटम संख्या 61 के तहत चुंगी एकत्र करने की अनुमति दी गई है। सरकार के अंतिम निर्णय के अधीन। उपरोक्त पत्र से यह भी पता चलता है कि औद्योगिक नमक को चुंगी शुल्क से छूट नहीं दी जा सकती है और सरकार के निर्णय के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा रिफंड का दावा किया जा सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता विरोध स्वरूप चुंगी का भुगतान कर रहे हैं। दिनांक 12.7.1975 के अभ्यावेदन का भी संदर्भ दिया गया है जिसमें भारत सरकार के उपक्रम सैम्बर साल्ट लिमिटेड का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जिसमें तर्क दिया गया है कि मानव उपभोग के लिए नमक और नमक के बीच बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उपभोग के लिए आयात किया गया। दोनों नमक 'सामान्य नमक' है और 'सामान्य नमक' को चुंगी के भुगतान से छूट दी गई है। विद्वान वकील के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए अभ्यावेदन अनुलग्नक पी-2 से पी-8, पी-10, पी-11, पी-14, पी-15 और पी-16 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उत्तरदाता निर्णय को टाल रहे थे। यह पहलू सबसे पहले 26.11.1978 को स्थानीय स्वशासन द्वारा एक आदेश जारी करने के साथ परिणित हुआ, अनुलग्नक पी-19 के अनुसार 'सामान्य नमक' (खाद्य नमक) को चुंगी से छूट दी गई थी। इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति (याचिकाकर्ता) पर कर लगाना है और इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में रद्द किया जाना चाहिए।

15. श्री साहनी ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 1980 के अधिनियम संख्या 7 का सत्यापन खंड याचिकाकर्ताओं के नुकसान के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि सत्यापन न्यायिक घोषणाओं द्वारा की गई किसी घोषणा या किसी अन्य वैध कारण के आधार पर नहीं किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार 1980 के अधिनियम संख्या 7 का पूर्वव्यापी संचालन अनुमेय होगा क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए संशोधन द्वारा किसी भी वित्तीय लाभ की वापसी को आमतौर पर एक्टिवेट विंडो को अनुचित और मनमाना माना जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार 30 मई, 1963 को अधिसूचित अनुसूची, इसके आइटम नंबर 8 के तहत चुंगी के लिए वस्तुओं की सूची शीर्षक और उप-शीर्षक (बी) विविध लेख के तहत, इसे प्रभावी ढंग से मान्य करके वापस नहीं लिया जा सकता था। मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एम.एम. कुमार, जे.) 6 1 जुलाई, 1975 से।

अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, उन्होंने मेसर्स लोहिया मशीन लिमिटेड बनाम भारत संघ<sup>2</sup> मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अल्पमत दृष्टिकोण पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

15) विद्वान वकील द्वारा दी गई अंतिम दलील यह है कि चुंगी माल की आवाजाही पर एक लेवी है और इसलिए, इसे संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 के अनुरूप होना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार चुंगी लगाने से अंतरराज्यीय व्यापार और चुंगी की स्वतंत्रता बाधित होगी और यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध काम करेगा।

(16) श्री नरेश के. जोशी, विद्वान सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा ने प्रस्तुत किया है कि आम नमक (खाद्य नमक) जिसे चुंगी शुल्क से छूट देने का इरादा है और औद्योगिक नमक, जिसका भुगतान करना है, के बीच जमीन आसमान का अंतर है। चुंगी. विद्वान वकील के अनुसार, दोनों वस्तुओं के बीच कोई कृत्रिम या सतही अंतर नहीं है। सरकार के आदेश दिनांक 26 नवंबर, 1978 अनुलग्नक पी-19 का हवाला देते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सरकार का प्रयास इस अंतर को और अधिक स्पष्ट करना है जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1980 के अधिनियम संख्या 7 को पारित किया गया है। विद्वान वकील ने कहा मेरा ध्यान प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपने लिखित बयान में दिए गए कथनों की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि 1972 से 1979 तक याचिकाकर्ता आयतित वस्तुओं का वर्णन करके कभी नमक और कभी औद्योगिक नमक का वर्णन करके अपना रुख बदलते रहे हैं। अंतर यह दर्शाएगा कि नमक और औद्योगिक नमक दो अलग-अलग वस्तुएं हैं और इन्हें एक या एक ही उत्पाद नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आम नमक को विशेष रूप से हरियाणा जिले में आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, जिसका यमुनानगर एक हिस्सा हुआ करता था। यमुनानगर में घेंघा रोग के व्यापक प्रसार के कारण आयोडीन रहित नमक को खाने योग्य नमक नहीं माना जाता है। उन्होंने इस संबंध में हरियाणा सरकार की 26 नवंबर की अधिसूचना, अनुलग्नक आर-1 का भी हवाला दिया है जो याचिकाकर्ता-उद्योग के संबंध में चुंगी का विवरण है। उन्होंने आगे सामूहिक रूप से संलग्नक आर-3 के रूप में संलग्न वीए दस्तावेजों का संदर्भ दिया है। निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा द्वारा जारी 1 मार्च, 1974 और 10 मई, 1979 के पत्रों का हवाला देते हुए, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि घेंघा रोग की घटनाओं के कारण हरियाणा में कोई भी व्यक्ति अंबाला जिले में गैर-आयोडीनयुक्त नमक नहीं बेच सकता है। अतः 30 मई, 1963 की अधिसूचना द्वारा जारी छूट केवल सामान्य एड पर लागू होगी जैसा कि सरकार की अधिसूचना दिनांक 26 नवंबर, 1978 अनुलग्नक पी-19 और 1980 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसा कि आगे प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी आम खाद्य नमक कास्ट ओडा के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक नमक की तुलना में अलग वस्तु है। और क्लोरीन क्योंकि बाद वाले को आयोडीन के अतिरिक्त, शोधन की आवश्यकता नहीं होगी या मैग्नीशियम के प्रभाव को कम करने के

<sup>2</sup> एआईआर 1985 एस.सी. 421

उद्देश्य से किसी प्रक्रिया के अधीन नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा।

(17) विद्वान राज्य वकील ने तब प्रस्तुत किया है कि ऐसा कानून बनाने में कोई रोक नहीं है जो केवल एक व्यक्ति पर लागू हो सकता है क्योंकि एक व्यक्ति अकेले ही वैध वर्गीकरण का आधार बन सकता है। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 1980 का अधिनियम संख्या 7 केवल यमुनानगर तक ही सीमित नहीं है और पूरे हरियाणा राज्य पर लागू है, इसलिए, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेश का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

(18) मैंने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई संबंधित दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है और मेरा विचार है कि यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है। यह पता लगाने के लिए कि क्या 30 मई, 1963 की चुंगी अनुसूची में चुंगी से छूट की शीर्षक सूची के उप-शीर्षक (बी) विविध लेखों के तहत क्रम संख्या 8 पर आइटम द्वारा चुंगी शुल्क से छूट दिए गए नमक में इस्तेमाल किया गया नमक शामिल होगा। कास्टिक सोडा और क्लोरीन के निर्माण के लिए, विधान के इरादों का पता लगाना होगा। यह सामान्य ज्ञान है कि मार्च/अप्रैल, 1930 में राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी द्वारा विदेशी शासकों के खिलाफ शुरू किया गया नमक सत्याग्रह, जिसे 'दांडी मार्च' के नाम से जाना जाता है, स्थानीय आबादी द्वारा खाद्य नमक बनाने पर कर की घटनाओं से बचने के लिए था। उनका अपना उपभोग. ऐसा प्रतीत होता है कि 30 मई, 1963 को जारी अधिसूचना का इरादा यही था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि केवल उस नमक को चुंगी से छूट दी गई है, जिस पर 1 अप्रैल, 1937 से पहले कर नहीं लगाया जा रहा था। 30 मई, 1963 को जारी चुंगी अनुसूची का प्रासंगिक भाग पढ़ता है। निम्नानुसार:-

"नंबर 2784-सीजे(4सीआई)-63/20355.-इस संबंध में लगाए गए कर को अधिक्रमण करते हुए, नगर पालिका समिति पठानकोट, जिला गुरदासपुर, पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ने पठानकोट नगर पालिका में माल के प्रवेश पर कर लगाने का प्रस्ताव रखा है मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम 615 हरियाणा राज्य और अन्य (एम.एम. कुमार, जे.) उसका उपभोग, उपयोग या बिक्री, चुंगी की प्रकृति में (रिफंड के बिना)।"

और जबकि उपरोक्त कराधान के प्रस्तावों को पंजाब के राज्यपाल द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (8) के तहत मंजूरी दे दी गई है। इसलिए, अब, उस कर को अधिक्रमण किया जा रहा है, जिसके अधिरोपण को पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 11209-सी-52/11-466, दिनांक 3 जनवरी, 1953 के साथ अधिसूचित किया गया था, जैसा कि बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया और उसके अनुसरण में किया गया। उपरोक्त अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (10) के प्रावधानों के अनुसार, पंजाब सरकार इसके बाद प्रदर्शित अनुसूची के अनुसार कर लगाने की अधिसूचना जारी करती है और निर्दिष्ट करती है कि कर लागू होगा 1 अगस्त, 1963 से प्रभावी। रिफंड के बिना चुंगी

अनुसूची चुंगी (बिना रिफंड के) नामक कर की गणना पैकिंग, ड्रम और पैकिंग में उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं सहित खेप के सकल वजन पर की जाती है और कॉलम नंबर 3 में दर्शाई गई दरों पर पूंछ द्वारा जानवरों पर कर और यथामूल्य के मूल्यांकन के मामले में नगर पालिका की सीमा में रेल या सड़क मार्ग से आयातित वस्तुओं और उसके कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित जीवित जानवरों पर नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नंबर 5 में दर्शाई गई दरों के आधार पर, लेकिन निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन -

XX XX XX XX

अनुसूची अनुदान चुंगी से छूट की सूची

(ए) सरकार से संबंधित लेख

XX XX XX XX

(बी) विविध लेख

1 से 7. XX XX XX

8. नमक (जहाँ 1 अप्रैल 1937 से पहले इस पर कर नहीं लगता था)।

XX XX XX XX

61. अन्य कपड़े धोने का साबुन (मंकी ब्रांड साबुन सहित)। सनलाइट साबुन, विम और लक्स फ्लेक्स), फिटकिरी, साल्टपीटर रिफाइंड, पोटेश, एप्सम साल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कपड़े, फर्श और बर्तन धोने में इस्तेमाल होने वाले अन्य खारे पदार्थ। 0.50 1.40"

(19) यह और भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता स्वयं दिखाते हुए नगरपालिका क्षेत्र में नमक, रासायनिक उद्योगों के लिए नमक, औद्योगिक नमक और बिना कुचले नमक जैसे विभिन्न नामों के तहत आयातित वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। इस तथ्यात्मक पहलू को स्वयं याचिकाकर्ताओं ने अपनी घोषणाओं/अभ्यावेदन में स्पष्ट किया है। प्रतिवादी नंबर 3 ने औद्योगिक नमक के लिए प्रभार्य दर पर रेलवे अधिकारियों को माल ढुलाई का भुगतान करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे से प्राप्त दस्तावेज़ अनुलग्नक आर-1 को भी रिकॉर्ड पर रखा है। जैसा कि अनुबंध आर-1 से स्पष्ट है, यहां तक कि रेलवे अधिकारियों ने औद्योगिक नमक और आयोडीन युक्त नमक के लिए माल ढुलाई की अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं।

(20) दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर विद्वान वकील का तर्क कि सामान्य नमक और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य नमक एक है और एक ही बात लागू नहीं होगी वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार इस मामले के रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि सामान्य नमक औद्योगिक

नमक के साथ एक नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोरीन है। अंबाला जिले के मामले में, जिसमें यमुनानगर भी शामिल है, सामान्य नमक को आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए। यह और भी स्पष्ट है कि आयोडीन युक्त परिष्कृत नमक मैग्नीशियम के दुष्प्रभाव से ठीक हो जाता है। इसलिए, मैं इस विचार को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हूँ कि सामान्य खाद्य नमक औद्योगिक नमक के समान ही वस्तु होगी | यह सर्वविदित है कि औद्योगिक नमक कच्चा और अपरिष्कृत नमक होता है जिसमें कोई आयोडीन नहीं होता।

(21) अन्यथा भी मेरा विचार है कि कर के विषयों को चुनने में विधायिका को व्यापक विवेक प्रदान किया गया है और यदि कानून कराधान की एक व्यापक अनुमेय नीति का खुलासा करता है, तो अदालतें इसे बरकरार रखने की संभावना रखती हैं क्योंकि अदालतें अधिक झुकेंगी आसानी से अंदर मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम 617 हरियाणा राज्य और अन्य (एम.एम. कुमार, जे.) अन्यथा मानने के बजाय कर संबंधी कानून की संवैधानिकता की धारणा के पक्ष में। ये सिद्धांत सर्वविदित हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार दोहराए गए हैं। मेसर्स ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (3) और मध्य प्रदेश राज्य बनाम भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज (4) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों द्वारा दिए गए दो निर्णयों में, उपरोक्त दृश्य लिया गया है। विवियन जोसेफ फरेरा और अन्य बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम और अन्य के मामले में एक अन्य संविधान पीठ ने, (5) उसी सिद्धांत को दोहराते हुए, सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य को निम्नानुसार देखा- "कर लगाने के कानूनों की वैधता का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष कई मामलों में उठा है। उनसे उभरने वाला सिद्धांत यह है कि एक कर वैध हो सकता है, सबसे पहले, इसे लागू करने वाली विधायिका की क्षमता के भीतर है, और दूसरी बात, कि यह एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है, और तीसरा, यह संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। कर लगाने का कानून किसी अन्य कानून की तरह ही कला 14 के अधीन है, (1961)3 एससीआर 77 = (एआईआर 1961 एससी 552), राजा जगन्नाथ बनाम यूपी (1963)1 एससीआर 220 (एआईआर 1962 एससी 1563), ईस्ट इंडिया टोबैको कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश (1963)1 एससीआर 404 = (एआईआर 1962 एससी 1733), खंडिगे शाम भट्ट बनाम कृषि आयकर अधिकारी, (1963)3 एससीआर 809 = (एआईआर 1963 एससी 591) और आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नल्ला राजा रेड्डी 1967)3 एससीआर 28 = (एआईआर 1967 एससी 1453)। लेकिन विभिन्न तत्वों के राजकोषीय समायोजन की अंतर्निहित जटिलता को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण के लिए विधानमंडल को एक बड़े विवेक की अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि वर्गीकरण के सिद्धांत में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन न हो [ओ: (1963)3 एससीआर 809 (एआईआर 1963 एससी 591)]। ये सिद्धांत हैं कि वर्गीकरण एक समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए जो एक साथ समूहित व्यक्तियों या वस्तुओं को समूह से बाहर छोड़े गए अन्य लोगों से अलग करता है, और वह अंतरकानून के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। जब तक कराधान के लिए व्यक्तियों या वस्तुओं को वर्गीकृत करने में इन सिद्धांतों का उचित रूप से पालन किया जाता है, तब तक वर्गीकृत करने की शक्ति व्यापक और लचीली होनी

चाहिए ताकि विधानमंडल अपनी कराधान प्रणाली को सभी उचित और उचित तरीकों से समायोजित करने में सक्षम हो सके, [देखें (1963)3 एससीआर 809= (एयर 1963 एससी 591)]

यह सर्वविदित है कि किसी विधानमंडल को किसी चीज़ पर कर लगाने के लिए हर चीज़ पर कर नहीं लगाना पड़ता है। यह जिलों, वस्तुओं, व्यक्तियों, तरीकों और यहां तक कि कराधान की दरों को चुन सकता है जब तक कि यह उचित रूप से ऐसा करता है। (विलिस। संयुक्त राज्य अमेरिका का संवैधानिक कानून, 587। एक कर लगाने का कानून भेदभाव के आधार पर केवल इसलिए अमान्य नहीं है क्योंकि अन्य वस्तुओं पर विधायिका द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता है। [रवि वर्मा बनाम भारत संघ (1969)3 एससीआर 827 = (एआईआर 1969 एससी 1094.)] जब कोई कानून कर की वस्तुओं को श्रेणियों के समूहों में विभाजित करता है, जब तक कि प्रत्येक समूह के भीतर समानता और एकरूपता होती है, कर पर भेदभावपूर्ण होने के आधार पर हमला नहीं किया जा सकता है, हालांकि उचित है आकस्मिक परिस्थितियों या किसी विशेष स्थिति में किसी वर्ग या समूह में शामिल कुछ लोगों को दूसरों पर कुछ लाभ मिल सकता है, बशर्ते कि उन्हें विशेष उपचार की तलाश न की जाए:

[(1963)3 एससीआर 809 (एआईआर 1963 एससी 591)]। इसी तरह, केवल यह तथ्य कि कोई कर एक ही समूह या श्रेणी के कुछ लोगों पर अधिक पड़ता है, अपने आप में इसकी अमान्यता का आधार नहीं है, क्योंकि तब शायद ही कोई कर, उदाहरण के लिए, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क, इस तरह के आरोप से बच सकता है। [ट्वाइफोर्ड टी कंपनी लिमिटेड बनाम केरल राज्य (1970)3 एससीआर 383 = (एआईआर 1970 एससी 1133)]।"

(22) दमथुलुरी रामाराजू और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य<sup>3</sup> मामले में एक अन्य संविधान पीठ ने भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है और केरल होटल रेस्तरां एसोसिएशन और अन्य बनाम केरल राज्य अन्य<sup>4</sup> में, केरल होटल और रेस्तरां एसोसिएशन के मामलों में यह देखा गया है कि कर कानून में, परीक्षण निर्धारित करने के लिए वैधता यह है कि इसे लुगदी के रूप में मनमाना नहीं होना चाहिए क्योंकि कराधान में अनुमत वर्गीकरण का दायरा किसी भी अन्य की तुलना में कहीं अधिक है। उनके आधिपत्य की टिप्पणियों को निम्नानुसार पढ़ा जाता है: - अन्य क्षेत्र। "कराधान में वर्गीकरण की अनुमति का दायरा अधिक है और जब तक किए गए वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है, तब तक इसे वर्गीकरण के लिए मानदंड चुनने के लिए विधायी ज्ञान पर छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजकोषीय नीति की पृष्ठभूमि आर्थिक गुणवत्ता भी। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि यदि वर्गीकरण केवल आर्थिक रूप से मजबूत लोगों पर कर लगाने के

<sup>3</sup> एआईआर 1972 एस.सी. 828

<sup>4</sup> (1990)2 एस.सी.सी. 502

उद्देश्य से किया गया है और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को छोड़ दिया गया है, तो यह वर्गीकरण को बनाए रखने का एक अच्छा कारण होगा यदि यह अन्यथा अपमानजनक नहीं है समानता खंड के तहत वैध वर्गीकरण के स्वीकृत मानदंडों में से कोई भी।"

(23) उपर्युक्त मामले में, लक्जरी होटलों में समृद्ध समाज द्वारा बेचे जाने वाले पके हुए भोजन पर बिक्री कर लगाने और आधुनिक भोजनालयों में बिक्री कर से छूट देने के प्रावधानों द्वारा किए गए वर्गीकरण को उठाया गया था। वर्गीकरण को बरकरार रखते हुए यह माना गया कि उपलब्ध वस्तु के साथ वर्गीकरण के लिए एक तर्क संगत संबंध था जिसके लिए इसे बनाया गया था और वर्गीकरण समझदार अंतर पर आधारित है।

(24) यदि अनुमान के लिए यह मान भी लिया जाए कि सामान्य खाद्य नमक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य नमक एक ही चीज है, तो चुंगी की उगाही के लिए औद्योगिक नमक उठाना बिना किसी कारण के नहीं माना जा सकता है। उचित आधार क्योंकि आम खाने योग्य नमक को अमीर या गरीब हर आम आदमी तक पहुंचाना है जबकि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आम नमक मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उद्योग भुगतान करने की बेहतर स्थिति में है जो सभी कर कानूनों में एक प्रासंगिक विचार है। यह दृष्टिकोण गंगा शुगर कॉर्पोरेशन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य<sup>5</sup> में संविधान पीठ के फैसले द्वारा समर्थित है, इसलिए, मुझे श्री साहनी द्वारा उठाए गए पहले तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य नमक पर चुंगी का शुल्क लगाया जाता है। सामान्य खाद्य नमक से अलग होना संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेश का उल्लंघन है।

(25) दूसरा तर्क यह है कि 1980 के अधिनियम संख्या 7 को पूर्वव्यापी रूप से अधिनियमित करने में याचिकाकर्ताओं से चुंगी के भुगतान को निकालने और मान्य करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ शक्ति का रंगीन और मनमाना प्रयोग किया गया है, जिसने भी मुझे प्रभावित नहीं किया है। यह सर्वविदित है कि यदि कोई व्यक्ति वैध वर्गीकरण के पाठ का उत्तर देता है तो वह अपना स्वयं का एक वर्ग बना सकता है। किसी कर को वैध होने के लिए उसे लागू करने वाली विधायिका की क्षमता के भीतर होना चाहिए और दूसरा यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यदि तीसरी आवश्यकता यह है कि इसने संविधान के अध्याय III में निहित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है, तो कर कानून को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है जैसा कि विवियन जोसेफ़ फ़ेरेरा के मामले (सुप्रा) में निर्धारित किया गया है।

---

<sup>5</sup> (1980)1 एस.सी.सी. 223

(26) 1980 के अधिनियम संख्या 7 के अवलोकन से पता चलता है कि इसे यमुनानगर में हर उद्योग पर लागू किया गया है और संयोगवश, यदि याचिकाकर्ता केवल उस कारण से एकमात्र उद्योग है, तो यह एक वर्ग के अपने चरित्र को नहीं खोएगा। वैध वर्गीकरण के प्रश्न का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए उद्योग। चरणजीत लाल चौधरी बनाम भारत संघ<sup>6</sup> मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के प्रयोजनों के लिए एक निगम या व्यक्तियों के समूह को भी अपने आप में एक वर्ग माना जा सकता है, बशर्ते इसके लिए पर्याप्त आधार या कारण हो। यह देखा गया है कि कोई भी कानून निश्चित रूप से एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर लागू हो सकता है और यदि यह भेदभावपूर्ण नहीं है तो इसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता है। 1980 के अधिनियम संख्या 7 के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद, औद्योगिक नमक का आयात करने वाले या 1 जुलाई, 1975 से औद्योगिक नमक के लिए चुंगी का भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार किया गया है। कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि केवल याचिकाकर्ताओं को सत्यापन अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की गई थी। मान्यता से संबंधित कानून का उपरोक्त प्रस्ताव भारतीय अल्मुनियम कंपनी और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य<sup>7</sup> के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष<sup>8</sup> विचार के लिए आया था।

(27) मेरा यह भी मानना है कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा एकत्र की गई और याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई चुंगी की घटना को पहले ही अन्य तिमाहियों में स्थानांतरित कर दिया गया होगा, जिन्हें याचिकाकर्ता द्वारा कास्टिक सोडा और क्लोरीन का अंतिम उत्पाद बेचा गया था। हाल के एक फैसले में, श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया<sup>9</sup> के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि का सिद्धांत उचित संवर्द्धन रिफंड के मामलों पर लागू होगा और इसे उन मामलों में भी लागू किया जाएगा जहां कर को अवैध माना गया है क्योंकि रिफंड तब दिया जा सकता है जब यह स्थापित हो कि उसने किसी अन्य व्यक्ति पर बोझ नहीं डाला है। उनके जहाजों के अवलोकन इस प्रकार हैं- "अगला प्रश्न यह है: क्या अपीलकर्ता नियंत्रण आदेश के खंड 9-ए के तहत उनके द्वारा किए गए योगदान की वापसी के हकदार हैं? धनवापसी का कोई स्वचालित अधिकार नहीं है। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में [1997]5 एससीसी 536), संविधान पीठ ने माना है कि कानून के असंवैधानिक प्रावधान के तहत भुगतान किए गए कर की वापसी का अधिकार पूर्ण या बिना शर्त अधिकार नहीं है। यही स्थिति है, भले ही अनुच्छेद, 265 को लागू किया जा सकता है। अन्यायपूर्ण संवर्द्धन के सिद्धांत रिफंड के दावे में लागू होते हैं। दावेदार को यह आरोप लगाना होगा और स्थापित करना होगा कि उसने किसी अन्य व्यक्ति पर बोझ नहीं डाला है। संविधान पीठ ने माना

<sup>6</sup> एआईआर 1951 एस.सी. 41

<sup>7</sup> (1996) 7 एससीसी 637

<sup>8</sup>

<sup>9</sup> एआईआर 2003 एससीडब्ल्यू 186

है कि क्या मुआवजे के दावे को संवैधानिक अनिवार्यता के रूप में माना जाता है या वैधानिक आवश्यकता, यह न तो पूर्ण अधिकार है और न ही बिना शर्त दायित्व है, बल्कि निर्णय में बताई गई आवश्यकता के अधीन है। जहां कर्तव्य का बोझ दावेदार पर डाला गया है, वह यह नहीं कह सकता कि उसे पूर्वाग्रह का कोई वास्तविक नुकसान हुआ है। ऐसे मामले में वास्तविक हानि या पूर्वाग्रह उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने अंततः बोझ उठाया है और केवल वही व्यक्ति वैध रूप से इसकी वापसी का दावा कर सकता है। लेकिन जहां ऐसा व्यक्ति आगे नहीं आता है या जहां एक या अन्य कारणों से उसे राशि लौटाना संभव नहीं है, तो यह उचित और उचित है कि राशि राज्य द्वारा यानी लोगों द्वारा अपने पास रख ली जाए। अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत एक न्यायपूर्ण और एकान्त सिद्धांत है। न्यायालय की शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण ढंग से समृद्ध करने के लिए नहीं किया जाता है। हालाँकि, अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत राज्य पर लागू नहीं होता है, क्योंकि राज्य देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी लोगों के अन्यायपूर्ण तरीके से समृद्ध होने की बात नहीं कर सकता।"

(28) मेसर्स लोहिया मशीन्स केस (सुप्रा) में अल्पसंख्यक दृष्टिकोण पर आधारित विद्वान वकील के तर्क को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक निर्णय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है। इसलिए, मैं विद्वान वकील के उपरोक्त तर्क की किसी भी गंभीर विस्तार से जांच करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ।

(29) अंतिम तर्क यह है कि चुंगी शुल्क लगाना संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 का उल्लंघन करता है, यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत अनुचित प्रतिबंध लगाता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी गंभीर विचार की आवश्यकता नहीं होगी। चुंगी को माल की आवाजाही पर कर के रूप में नहीं माना जा सकता। नगरपालिका क्षेत्र में माल को उपयोग के इरादे से लाना और पारगमन में नहीं लाना निर्णायक कारक होगा। इस तरह के लेवी की प्रकृति नियामक है और सातवीं अनुसूची की सूची II, प्रविष्टि 52 में पर्याप्त रूप से शामिल है। इसे संविधान के अनुच्छेद 301, 304 या 19(1)(जी) का उल्लंघन नहीं माना जा सकता क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(6) द्वारा अपेक्षित उचित प्रतिबंध के भीतर होगा। यह एक प्रतिपूरक कर है और यह अच्छी तरह से तय है। इस संबंध में नगरपालिका परिषद, कोटा, राजस्थान बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड दिल्ली और अन्य<sup>10</sup> और बिहार राज्य और अन्य बनाम बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स और अन्य<sup>11</sup> में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है।

इसलिए, विद्वान वकील के अंतिम तर्क को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए।

<sup>10</sup> (2001)3 एससीसी 654

<sup>11</sup> 1996 (9) एससीसी 136

(30) किसी अन्य बिंदु पर आग्रह नहीं किया गया है।

(31) ऊपर दर्ज कारणों से, यह याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

चाहत  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
अंबाला, हरियाणा